यदि मैं इस कार्रवाई के पश्चात् भी उप-प्रधान मंत्री बना रहना स्वीकार करूं तो यह बात मेरे सम्मान के विरुद्ध होगी और इससे यही समझा जायगा कि यह मैंने कुरसी के लिये ही किया है। मुझे आशा है कि सदन मेरी कार्यवाही का औचित्य अनुभव करेगा। आपकी अनुमति से मैं प्रधान मंत्री के साथ हुए अपने पत्र-व्यवहार की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जिससे कि सदन को तथ्यों की ठीक जानकारी हो सके।

Shri Madhu Limaye : The Former Deputy Prime Minister has given a statement on the principles of Democracy, Parliamentary procedure and the composition of cabinet. We should be given an opportunity to discuss these issues in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरा श्री मोरारजी देसाई के साथ एक लम्बी अवधि से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहा है। पिछले दो वर्षों में मंत्रिमण्डल में रहते हुए वे अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते रहे हैं। उनके विचारों से किसी को भी हानि हुई हो ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए।

मैंने पत्रों द्वारा तथा उनके साथ हुए विचार-विमर्श में सविस्तार उन कारणों को बता दिया है, जिनसे मुझे वित्त-मंत्रालय अपने अधीन करने का निश्चय करना पड़ा।

श्री देसाई अनुशासन का पालन करने के लिये प्रसिद्ध हैं और किसी भी निर्णय को उनके द्वारा कार्यान्वित न करने अथवा उनकी कार्यनिष्ठा के प्रति कभी कोई संदेह नहीं उठा है।

यह मामला स्वीकृत निर्णयों को ईमानदारी से कार्यान्वित करने का ही नहीं था। सभी जानते हैं कि वर्तमान आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में श्री मोरारजी देसाई के कुछ अपने निंश्चित विचार थे। बंगलौर में हुई बैठक में मैंने नीति के पुर्नानिर्धारण के सम्बन्ध में एक नोट प्रस्तुत किया था और उसके आधार पर वहां इस बारे में विचार-विमर्श हुआ। इस नीति सम्बन्धी टिप्पण को कांग्रेस द्वारा घोषित समाजवादी लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में एक महत्वपूर्ण कदम ही नहीं समझा गया वरन् उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की भी मांग की गई जिनका सूत्रपात किया जा चुका है। अतः इसी आधार पर मैंने यह उपयुक्त समझा कि मैं स्वयं वित्त मंत्रालय का भार अपने हाथों में ले लूं क्योंकि इन नीतियों को कार्यान्वित करने के बारे में इस मंत्रालय का सीधा सम्बन्ध है।

इस प्रकार प्रश्न केवल वित्त मंत्री को बदलने का था। जब मैंने यह पद बदलने का निश्चय किया तो पहले मैंने श्री देसाई को पत्र लिखा जिसमें उन्हें इस निर्णय से सूचित किया था। उसके उपरांत मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। वास्तव में मैं चाहती थी कि श्री देसाई उप-प्रधान मंत्री पद पर बने रहें। मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि हम लोग विस्तृत व्यवस्था के बारे में विचार करें किन्तु इस विषय में बातचीत करने के लिये परस्पर मिलने से पूर्व ही श्री देसाई ने अपना त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की।

मैं श्री देसाई और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनके सरकार को छोड़ने से मुझे भारी दुःख हुआ है। श्री देसाई ने देश की महती सेवा की है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में

भाग लिया था। अतः यह स्वाभाविक है कि मेरी उनके प्रति भारी आस्था है। मैं फिर एक बार उनको हृदय से धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि वह जिस प्रकार अब तक सरकार को अपनी बहुमूल्य सलाह देते रहे हैं आगे भी देते रहेंगे।

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार (आपराधिक मामलों में) का विस्तार विधेयक

ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

तेल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

OIL FIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तेल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव चन्द्र झा इस विधेयक के पुरःस्थापन पर विरोध करना चाहते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Sir, I oppose the introduction of the Oil-fields (Regulation and Development) Amendment Bill in accordance with the provisions made in the Constitution. It has been mentioned in the entries 53 and 54 of the Union List of the Constitution that all oil-fields and mines fall under the control of the Central Government. But